मनोज देवी वगैरह बनाम पन्नादेवी वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज T.I., मु.नं. - 547/2017
27-3-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थी नं. 5 व 6 की ओर से अन्तिम दिनांक 6-3-18, 15-3-18, व 21-3-18 को अवसर प्रस्तुत करने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र वाजदायरी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाकर बहस हेतु (प्रार्थना पत्र वाजदायरी) नियत किया जाता है। बहस प्रार्थना पत्र वाजदायरी अप्रार्थी क्रमांक 1 व 2 की ओर से तथा प्रार्थी की ओर से सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 28-3-18 को पेश हो। Gm
28.03.2018	पत्रावली आज वास्ते आदेश/निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चूकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थीया को उसके अधिवक्ता ने कह रखा था कि आपको हर पेशी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी तब आपको बुला लेगें। प्रार्थीया अपने अधिवक्ता पर विश्वास करके उनके भरोसे पर निर्भर थी। जिसके कारण दिनांक 24.3.2017 को प्रार्थीया तारीख पेशी पर पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो सकी तथा प्रार्थीया अधिवक्ता भी तत्समय आवाज नहीं सुनने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी। जिससे दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज हो गया। प्रार्थीया बेवा है। अतः प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने किया है। Gm

सहायक कलेक्टर (फा.ट्रै.) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

सरोज देवी वगैरह बनाम पतासी देवी वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

वही वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि प्रार्थीया/वकील प्रार्थीया के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज हुआ है। जो सही हुआ है। वादी प्रार्थीया को बार–बार आवाज दिलवाने के उपरान्त भी हाजिर नहीं आये थे। वकील अप्रार्थी ने वाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने तथा प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं बढ़ाये जाने का निवेदन किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। बहस पर सगौर मनन किया। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 252/2014 उनवानी सरोज देवी वगै0 बनाम् पतासी देवी वगै0 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 24.03.2017 को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है। उभय पक्षकारान् दिनांक 23.04.2018 को सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner